एम्नेस्टी इन्टरनेसनल

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल

संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रतिपादित मानवअधिकारके विश्वव्यापी घोषणापत्र

मानव अधिकारक सार्वभौम घोषणा

प्रस्तावना

किएक तँ मानव परिवारक सभ सदस्यकेँ जन्मजात गौरव आ समान तथा अविछिन्न अधिकारक स्वीकृतिये विश्व शान्ति, न्याय एवं स्वतन्त्राक आधार थिक ।

किएक तँ मानवक अधिकार प्रति उपेक्षा आ घृणाक चलते एहन बर्बर काज भेल, जइसँ मनुश्यपर अत्याचार कएल गेल ।

किएक तँ एकटा एहन विश्व-बेवस्था भेल जाईके स्थापनासैं (जइमे लोककेँ भाषण आ धर्मक आजादी तथा डर आ अभावसँ मुक्ती भेटतै) सबहक लेल सभसँ नमहर इच्छा घोषणा कएल गेल अछि ।

किएक तँ अगर अन्याययुक्त शासन आ जुलुमक विरोधमे लोककेँ विद्रोह करबाक हेतु-ओकरे अन्तिम उपाए बुझीक मजबूर नै भक ऽ जेबाक अछि, तँए कानूनद्वारा निअम बना मानवक अधिकारक रक्षा केनाइ जरूरी अछि ।

किएक तँ संयुक्त राष्टक सदस्य-देश सबहक जन-गण लोकनि बुनियादी मानव-अधिकारमे, मानव व्यक्तीत्वकेँ गौरव आ

योग्यतामे एवं नर-नारीक समान अधिकारमे अपन विश्वासकेँ अधिकार पत्रमे दोहरेलक अछि आ ई निश्चित केलक अछि जे अधिक व्यापक स्वतन्त्रताक अधिन सामाजिक उन्नति एवं जीवनकेँ बेहतर स्तरकेँ ऊँच कएल जाए ।

किएक तँ सदस्य-देश ई प्रतिज्ञा केलक जे ओ संयुक्त राष्ट्रक सहयोगसँ मानव अधिकार आ बुनियादी आजादीक लेल सार्वभौम सम्मानक वृद्धि करताह ।

किएक तँ ओई प्रतिज्ञाकेँ सोलहन्नी लागू करबाक लेल अई अधिकार एवं आजादीक स्वरूप ठीक-ठीक बुझनाइ सभसँ बेसी खगता अछि । अई दुआरे, आब, **सामान्य सभा घोषित करैत अछि कि-**मानव अधिकारक ई सार्वभौम घोषणा सभ देश आ सभ लोकक समान सफलता थिक ।

एकर उदेश्य ई अछि जे प्रत्येक व्यक्ती एवं समाजक प्रत्येक भाग ई घोषणाकेँ लगातार नजरमे रखैत अध्यापन आ शिक्षाक द्वारा ई कोशिश करए जे ई अधिकार एवं आजादीक प्रति सम्मानक भावना जगबए एवं जगबैत रहए, उत्तरोत्तर एहेन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय उपाए कएल जाए जइसँ सदस्य-देश सबहक जनता एवं ओकरा द्वारा अधिकृत प्रदेशक जनता अई अधिकारक सार्वभौम आर प्रभावोत्पादक स्वीकृति दक ओकर पालन करबथि ।

धारा १ :

सभ व्यक्तीके गौरव आ अधिकारक मामिलामे जन्मजात स्वतंत्रता एवं सामानता प्राप्त छन्हि । हुनक बुद्धी और अन्तरात्माक देन प्राप्त छन्हि तथा परस्पर हुनका भाइचाराक भावसँ बर्ताव करबाक चाहियनि ।

धारा २ :

सभकेँ अई घोषणामे सन्निहित सभटा अधिकार आर आजादीकेँ पएबाक हक छै, अई मामिलामे जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति आर आन विचार-प्रणाली अथवा कोनो प्रकारक आन मर्यादिक कारण भेद-भावक विचार नै कएल जाएत ।

अईके बाहेके, कोनो देश या प्रदेश स्वतंत्र, संरक्षित वा स्वशासन रहित हुअए, आर परिमित प्रभुसत्ताबला हुअए, ओइ देशक/प्रदेशक राजनैतिक क्षेत्रिय आर अन्तराष्ट्रिय स्थितीके आधारपर ओतुक्का नागरिक लेल कोनो अन्तर नै राखल जाए ।

धारा ३ :

हरेक व्यक्तीके जीवनमे, स्वधीनता आर व्यक्तिगत सुरक्षाक अधिकार छै ।

धारा ४ :

किनको गुलामी आर दासताक हालतमे नै राखल जाएत । गुलामी प्रथा आ गुलामक बेपार सभ तरहसँ निषिद्ध हाएत ।

धारा ५ :

किनको शारीरिक यातना नै देल जाएत आ नई किनको प्रति निर्दय, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यव्हार हाएत ।

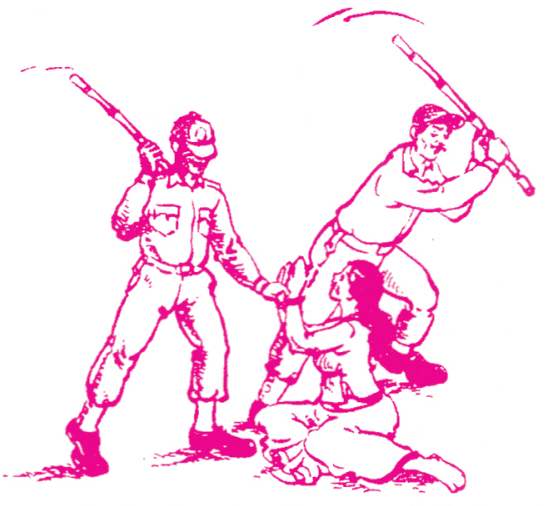

धारा ६ :

हरेक व्यक्ती हरेक ठाम कानूनक नजरमे व्यक्तीके रूपमे स्वीकृति पएबाक अधिकार अछि ।

धारा ७ :

कानूनक नजरमे सभ बरोबरी छथि आ सभ गोटे बिना कोनो भेद-भावक समान कानूनी सुरक्षाक अधिकारी सेहो छथि । जौं अई धोषणाकेँ अतिक्रमण कए कऽ कोनो भेद-भाव करत अथवा ओहन तरहक भेद-भावकेँ कोनो तरहेँ उसकाओत, तँ ओकरा विरूद्ध समान संरक्षणक अधिकार सभकेँ प्राप्त अछि ।

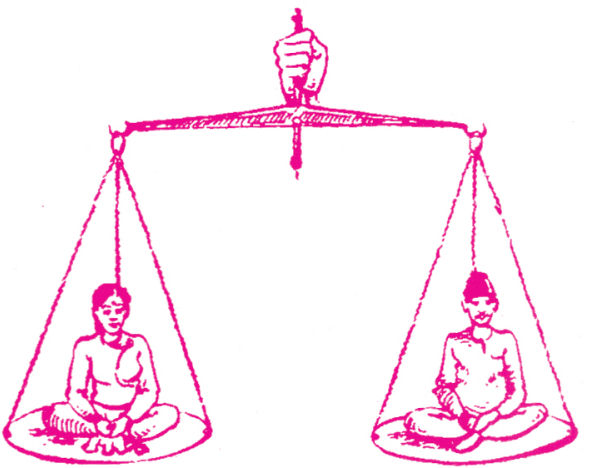

धारा ८ :

प्रत्येक व्यक्तीकेँ संविधान आर कानूनद्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारक अतिक्रमण करएबला कार्यक विरूद्ध यथोचित राष्ट्रिय अदालतक उचित एवं कारगर सहायता पएबाक हक अछि ।

धारा ९ :

किनको मनमानीसँ गिरफ्तार, नजरबन्द आर देश-निष्कशित नै कएल जाएत ।

धारा १० :

सभकेँ पूर्णतः समान रूपसँ हक अछि जे ओकर अधिकार एवं कर्तव्यकेँ निश्चय करबाक मामिलामे हुनकापर आरोपित फौजदारीक कोनो मामिलामे अहाँक सुनवाइ न्यायोचित आर सार्वजनिक रूपसँ निरपेक्ष एवं निश्पक्ष अदालतद्वारा हुअए ।

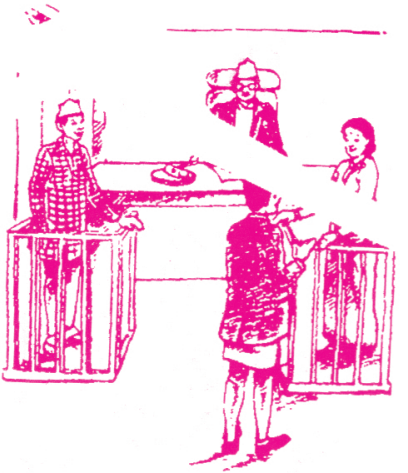

धारा ११ :

१. प्रत्येक व्यक्ती, जेकरापर दण्डनीय अपराधक आरोप लागल हुअए, तब तक निर्दोष मानल जाएत, जब तक ओकरा खुला अदालतमे, अपन सफाइके सभ आवश्यक सुविधा प्राप्त नई होइ, कानूनक अनुसार अपराधी नै सिद्ध कए देल जाएत ।

२. कोनो व्यक्ती कोनो एहन कृत/अकृतक कारण ओइ दण्डनीय अपराधक अपराधी नै मानल जाएत, जकरा तत्कालीन प्रचलित राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय कानूनक अनुसार दण्डनीय अपराध नै मानल जाएत आर नई ओकरा अधिक भारी दण्ड देल जा सकत, ओइ समय के सजाए देल जाइत जइ समय ओ दण्डनीय अपराध कएने छल ।

धारा १२ :

कोनो व्यक्तीके एकान्तता, परिवार, घर अथवा पत्र बेवहारक प्रति कोनो मनमाना हस्तक्षेप नै कएल जाएत, आर नै किनको सम्मान आर ख्यातीपर कोनो आक्षेप भसकेत अछि । एहन हस्तक्षेप अथवा आक्षेप विरूद्ध प्रत्येकर्कें कानूनी रक्षाकऽ अधिकार प्राप्त अछि ।

धारा १३ :

१. प्रत्येक व्यक्तीकेँ प्रत्येक देशके सीमाक भित्तर स्वतन्त्रतापूर्वक आवजाही करऽके आर बसैक अधिकार अछि ।

२. प्रत्येक व्यक्ती अपन अथवा आन कोनो देश छोडबाक आ अपन देश वापस एबाक अधिकार अछि ।

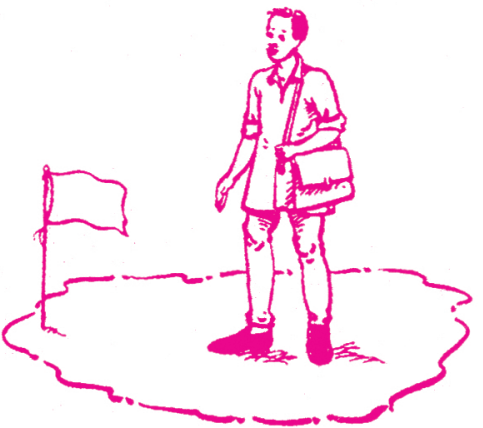

धारा १४ :

१. उत्पीडनके बचाउमे दोसर देशमे शरण लेबाक आर बसबाक अधिकार प्रत्येक व्यक्तीके अछि ।

२. अई अधिकारक लाभ एहन मामिलामे नै भेटत जे गैरराजनीतिक अपराधस उठल वास्तविक अभियोग सभसँ सम्बन्धित अछि, अथवा जे संयुक्त राष्ट्रक उदेश्य आर सिद्धान्तक विरूद्ध काज थिक ।

धारा १५ :

१. प्रत्येक व्यक्तीके कोनो राष्ट्रक-विशेष नागरीकताक अधिकार अछि ।

२. ककरो मनमानी ढंगसँ अपन राष्ट्रक नागरीकतासँ वंचित नै कएल जाएत आर नई नागरिकताक परिवर्तन करैसँ मनाही कएल जाएत ।

धारा १६ :

१. बालिग स्त्री पुरुषके बिना कोनो जाति-पाति, राष्ट्रियता आर धर्मक रूकाबटसँ आपसमे बिआह करबाक एवं परिवार बसबैक अधिकार अछि । अई लेल बिआहक विषयमे वैवाहिक जीवनमे, तथा बिआह-विच्छेदक संदर्भमे दुनूकेँ समान अधिकार अछि ।

२. बिआहक उदेश्य रखएबला स्त्री-पुरुषक स्वतन्त्र सहमतिपर बिआह भसकैत छैन्ह ।

३. परिवार समाजके स्वभाविक आर बुनियादी सामूहिक इकाइ थिक एवं एकरा समाज एवं राज्यद्वारा संरक्षण पएबाक अधिकार अछि ।

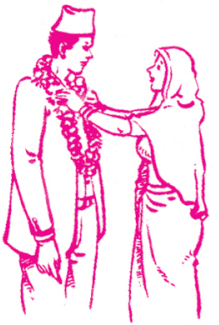

धारा १७ :

१. प्रत्येक व्यक्तीके असगर एवं दोसराक संग मिलिकऽ सम्पत्ति राखक अधिकार अछि ।

२. किनको मनमानी ढंगसँ अपन सम्पत्तिसँ वंचित नई कएल जाएत ।

धारा १८ :

प्रत्येक व्यक्तीके विचार, आस्था आर धर्मक आजादीक अधिकार अछि। अई अधिकारक अन्तर्गत अपन धर्म आ विश्वास बदलबाक और असगर अथवा दोसराक संग मिलिकऽ तथा सार्वजनिक रूपमे अथवा निजी तौरपर अपन धर्म आ विश्वासके शिक्षा , किया, उपासना, एवं व्यव्हारक द्वारा प्रकट करबाक स्वतन्त्रता अछि।

धारा १९ :

हरेक व्यक्तीके अपन विचार व्यक्त करबाक स्वतन्त्रताक अधिकार अछि। अई अन्तर्गत बिना कोनो हस्तक्षेपक कोनो राय-विचार रखबाक और कोनो माध्यमक तथा सीमाक परवाह नै कऽक किनको सूचना एवं धारणाकऽ अन्वेशन, ग्रहण तथा प्रदान सम्मिलित अछि।

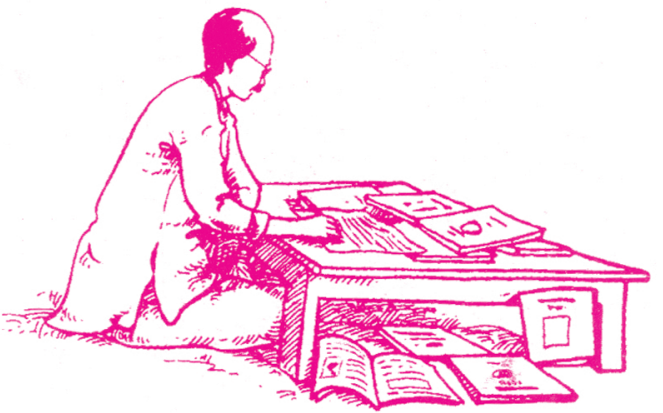

धारा २० :

१. प्रत्येक व्यक्तीके शान्तिपूर्ण सभा-बैसकी करबाक आ समिति बनेबाक स्वतन्त्राकऽ अधिकार अछि ।

२. कोनो व्यक्तीके कोनो संस्थाके सदस्य बनबाक हेतु मजबूर नै कएल जा सकैत अछि ।

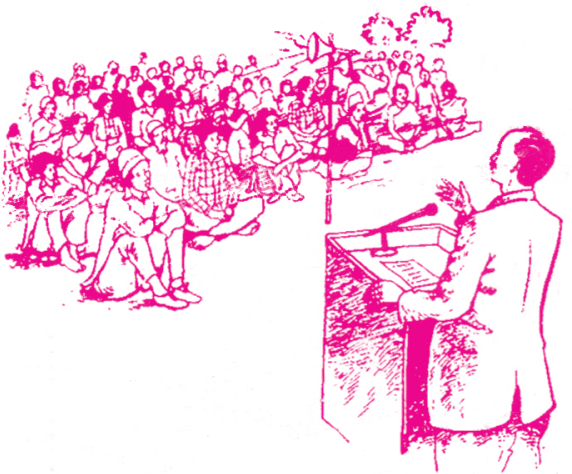

धारा २१ :

१. हरेक व्यक्तीके अपन देशक शासनमे प्रत्क्षय रूपसँ अथवा स्वतन्त्र रूपसँ चूनल प्रतिनिधिक माध्यमस हिस्सा लेबाक अधिकार अछि।

२. प्रत्येक व्यक्तीके अपन देशक सार्वजनिक सेवामे प्रवेश एवम प्राप्त करबाक समान अधिकारी अछि।

३. सरकारके सत्ताकऽ आधार जनताके इच्छा होयत। अई इच्छाकऽ प्रकटक समय-समयपर एवं असली चुनाव माध्यमसँ होएत। ई चुनाव सार्वभौम आर समान मताधिकार द्वारा होएत आर गुप्त मतदानद्वारा अथवा कोनो आन समान स्वतन्त्र मतदान पद्धतिसँ कराएल जाएत।

धारा २२ :

समाजके एक सदस्यक रूपमे प्रत्येक व्यक्तीके सामाजिक सुरक्षाक अधिकार अछि आर प्रत्येक व्यक्तीके अपन व्यक्तिगत आर स्वतन्त्र विकास तथा गौरवक लेल जे-राष्ट्रिय प्रयत्न अथवा अन्तराष्ट्रिय सहयोगक तथा प्रत्येक राज्यक संगठन एवं साधनक अनुकूल हुअए-अनिवार्यतः आवश्यक आर्थिक, सामाजिक आर सांस्कृतिक अधिकारक प्राप्ती हक अछि ।

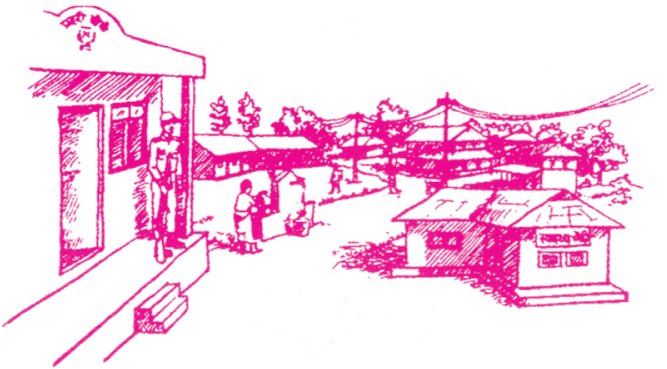

धारा २३ :

१. प्रत्येक व्यक्तीकेँ काज करबाक, इच्छानुसार रोजगारक चुनाव, काजक उचित और सुविधाजनक परिस्थिती प्राप्त करबाक एवं बेकारीसँ संरक्षण पएबाक हक अछि।

२. हरेक व्यक्तीके समान कार्यक लेल बिना कोनो भेदभावक समान मजदूरी पएबाक अधिकार अछि।

३. हरेक व्यक्ती जे काज करैत छथि, हुनका अधिकार छन्हि जे ओ ओतबा उचित और अनुकूल मजदूरी पाबथि, जइसँ ओ अपन एवं अपना परिवारक जीविकाक सरंजाम कऽ सकथि, जे मानवीय गौरवक योग्य हुअए तथा आवश्यकता भेलापर ओकर पूर्ति अन्य तरहक सामाजिक संरक्षणद्वारा भक सकए।

४. प्रत्येक व्यक्तीकेँ अपन हितक रक्षा हेतु श्रमजीवी संघ बनबैक आर ओइमे भाग लेबाक अधिकार अछि।

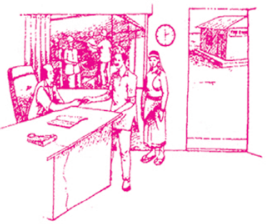

धारा २४ :

प्रत्येक व्यक्तीके विश्राम एवं छुट्टी पएबाक अधिकारी अछि । अहिकऽ मध्य काजक घंटाकैं उचित हदबन्दी आर समय-समयपर मजदूरी सहित छुट्टी सम्मिलित अछि ।

धारा २५ :

१. प्रत्येक व्यक्ति ओहन जीवन-स्तर पएबाक अधिकारी अछि जे ओकर अपन एवं परिवारक स्वास्थ्य एवं कल्यानक हेतु पर्याप्त अछि । एहिक मध्य खेनाइ, कपडा-लत्ता, घर-द्वार, इलाज-संबंधी सुविधा आर आवश्यक सामाजिक सेवा सम्मिलित अछि ।

सभकेँ बेकारी, बेमारी, अस्मर्थ, वैधव्य, बुढापा एवं आन कोनो एहन परिस्थितीमे आजीविकाक साधन नै रहलापर जे ओकरा बुत्तासँ बाहर होइ, सुरक्षाक अधिकार अछि ।

२. जच्चा आर बच्चाकेँ खास सहायता एवं सुविधाक हक अछि । प्रत्येक बच्चाकेँ चाहे ओ बच्चा विवाहित माइक कोखिक हुअए चाहे अविवाहित माइक, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होयत ।

धारा २६ :

१. प्रत्येक व्यक्तिकेँ शिक्षाक अधिकार अछि । शिक्षा कम-सँ-कम प्रारम्भिक आर बुनियादी अवस्थामे निःशुल्क होएत । प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होएत । टेक्निकल, यान्त्रिक आर रोजगार-संबंधी शिक्षा साधारण रूपसँ प्राप्त हाएत । उच्च शिक्षा सभहक योग्यताक आधारपर समान रूपसँ उपलब्ध हाएत ।

२. शिक्षाक उदेश्य हाएत मानव व्यक्तित्वके पूर्ण विकास एवं मानव अधिकार तथा बुनियादी स्वतन्त्रताक प्रति सम्मानक पुष्टि । शिक्षाद्वारा राष्ट्र, जाति अथवा धार्मिक समूहक बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता आर प्रेमक विकास होएत आर शान्ति बना कऽ रखए लेल संयुक्त राष्ट्रक प्रयत्नकेँ आगू बढाओल जाएत ।

३. माए-बापके सभसँ पहिले ई अधिकार छन्हि जे ओ चुनाव कऽ सकथि जे अपना बच्चाके कोन तरहक शिक्षा देल जाए ।

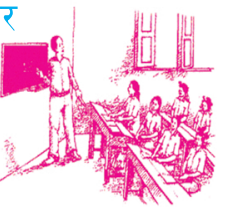

धारा २७ :

१. प्रत्येक व्यक्तिकेँ स्वतन्त्रापुर्वक समाजक सांस्कृतिक जीवनमे हिस्सा लेबाक, कलाक आनन्द लेबाक, तथा वैज्ञानिक उन्नति आर ओकर सुविधमे भाग लेबाक हक अछि ।

२. प्रत्येक व्यक्तिकेँ कोनो एहन वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा कलात्मक कृतिसँ उत्पन्न नैतिक आर आर्थिक हितक रक्षाक अधिकार अछि जेकर रचयिता ओ स्वंय हुअए ।

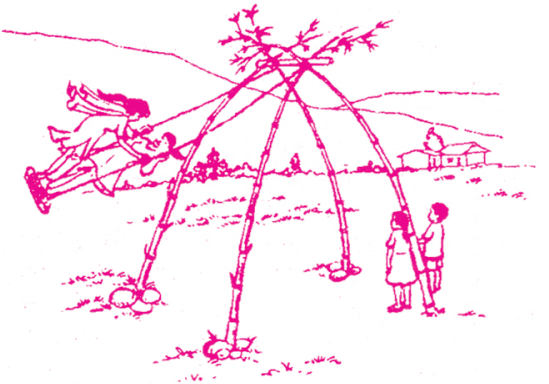

धारा २८ :

प्रत्येक व्यक्तिकेँ एहेन सामाजिक आर अन्तर्राष्ट्रिय बेवस्था प्राप्तिक अधिकार अछि जइमे अई घोषणामे उल्लिखित अधिकार आर स्वतन्त्राकेँ पूर्णतः प्राप्त कएल जा सकए ।

धारा २९ :

१. प्रत्येक व्यक्तीके ओइ समाजके प्रति कर्तव्य अछि जइमे रहि कऽ ओकर स्वतंत्र आर पूर्ण विकास संभव होइ ।

२. प्रत्येक व्यक्तीके अपन अधिकार आर स्वतन्त्रताके उपयोग करैत दोसरके अधिकार आर स्वतन्त्रताके आदर आर समान करऽ के अनिवार्यता अछि तथा प्रजातान्त्रिक समाजके, सर्वजनिक सुव्यवस्था आर सर्वसाधारणके कल्यानक लेल जे उचित आवश्यकता होइ ताइके हासिल कर्वाक उदेश्यसँ कानूनद्वारा निर्धारित सिमाके भितर रह्बाक अनिवार्यता अछि ।

३. ई अधिकारक एवं स्वतन्त्रक उपयोग कोनो तरहेँ संयुक्त राष्ट्रक सिद्धान्त एवं उद्देश्यकेँ विरूद्ध नै कएल जाएत ।

धारा ३० :

अई घोषणाअन्तर्गत उल्लिखित कोनो बातक ई अर्थ नै लागाएल जाए जइसँ ई प्रतीत हुअए जे कोनो राज्य, समूह अथवा व्यक्तीके कोनो ऐहन प्रयासमे संलग्न हेबाक अथवा एहेन काज करबाक अधिकार अछि, जकर उद्देश्य एतए बाताएलगेल अधिकारक स्वतन्त्रतामे सँ कोनोकेँ विनाश करबाक हुअए ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल

ई एकटा एहन संस्था छियैक जे मानवअधिकारक विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा अन्तराष्ट्रिय दस्तावेज सभमे उल्लेख भेल सभ मानवअधिकारसभक उपभोग हरेक मानव कऽ पाबए, तेहन विश्वक निर्माणक परिदृश्य (Vision) क संग कार्यरत अछि । एहि परिदृश्यकेँ साकार करबाक लेल मानवअधिकारक उल्लंघन तथा ज्यादतीक नियन्त्रण एवं उन्मूलनक लेल अध्ययन-अनुसन्धान कऽ अभियानसभ सञ्चालन करब एकर प्रमुख उद्देश्य अछि ।

- बेलायती वकील पीटर बेनेन्सनद्वारा २८ मइ १९६१ सँ सञ्चालित अभियान
- सन् १९७७ क नोबेल शान्ति पुरस्कार तथा सन् १९७८ क संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार पुरस्कारसँ विभूषित
- मानवअधिकारक लेल काज करऽ वला निष्पक्ष आ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियासँ सञ्चालित एक अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी अभियान
- साधारण व्यक्तिसभसँ सञ्चालित असाधारण अभियान
- संसारभरि १५० सँ अधिक देश तथा भूभागमे ७० लाखसँ बेसी सदस्य आ सहयोगदाता आबद्ध

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखाक स्थापना सन् १९६९ मे नूतन थपलियाद्वारा भेल छल आ एकर पहिल अध्यक्ष ऋषिकेश शाह छलाह । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल संसारक कोनो जगहपर होबऽ वला मानवअधिकार उल्लंघन आ ज्यादतीक घटनामे अभियानसभक सञ्चालन कऽ अपन सदस्यसभक परिचालन करैत अछि । सम्प्रति एम्नेस्टी नेपालमे ८,००० सँ बेसी सदस्यसभ छथि, जाहिमेसँ ३,५०० सँ बेसी युवा सदस्यसभ छथि । ई सदस्यसभ ३८ जिल्लामे अवस्थित ७८ सँ बेसी समूह आ ५४ टा यूथ नेटवर्कमे आवद्ध छथि ।

की अहूँ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालक सदस्य बनऽ चाहैत छी ?

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल मानवअधिकार तथा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलक आदर्शकेँ सम्मान कएनिहार व्यक्तिसभकेँ दू सालक लेल सदस्यता प्रदान कएल जाइत अछि । जँ अहूँ चाहैत छी जे निच्चा देलहा तीन तरहक सदस्यतामेसँ कोनो एक चयन कऽ सदस्यता फारम भरि शुल्कसहित एम्नेस्टी नेपालक पतापर पठा सकैत छी ।

समर्थक सदस्य : संस्थाक विधान र उद्देश्यसभक पालना करैत संस्थाक अभियानमे सहयोग देबऽ चाहनिहार मुदा निर्णय प्रक्रियामे मताधिकार नहि चाहनिहार १६ वर्षसँ उपरक कोनो व्यक्ति विना कोनो भेदभाव ५००/– टका शुल्क दऽकऽ एम्नेस्टी नेपालक समर्थक सदस्यता प्राप्त कऽ सकैत अछि ।

समूहगत साधारण सदस्य : एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालमे आवद्ध समूह तथा निर्माणाधीन समूहक कार्यसमितिक निर्णयमोताबिक ५००/– टका शुल्क दऽकऽ निर्धारित समूह तथा निर्माणाधीन समूह पदाधिकारीक सिफारिशमे ओहि समूह तथा निर्माणाधीन समूहमे आवद्ध भऽ सदस्यता प्राप्त कएनिहार सदस्यकेँ समूहगत साधारण सदस्य कहल जाइत छैक । एहन सदस्यसभकेँ सम्बन्धित समूह आ समूहमार्फत एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालक निर्णय प्रक्रियामे मताधिकार प्राप्त रहतैक ।

युथ नेटवर्क सदस्य : संस्थाक विधान आ उद्देश्यसभक पालना कएनिहार १४ सँ २५ वर्षधरिक व्यक्ति २००/– टका शुल्क दऽ यूथ नेटवर्कक सदस्यता प्राप्त कऽ सकैत छथि । एहन सदस्यसभकेँ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालक निर्णय प्रक्रियामे मताधिकार प्राप्त रहतैक ।

मुद्रित मिति : पौष २०७६ (December 2019), संख्या : ३००० प्रति

प्रकाशक

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखा
एम्नेस्टीमार्ग, वसन्तनगर, बालाजु
पो.ब.नं. १३५, काठमाडौँ, नेपाल ।
फोन नं. ००९७७-१-४३६४७०६/४३६५४३१
फ्याक्स नं. ००९७७-१-४३५४९८७

info@amnestynepal.org
amnestynepal.org
amnesty.nepal
amnestynepal